20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

372

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्र. क्र.– निगरानी–4958/2018/छतरपुर/भू.रा. सन्–2018

1. हल्कू कुशवाहा आयु 52 वर्ष तनय श्री मनका काछी
2. किशोरी लाल कुशवाहा आयु 55 वर्ष तनय श्री मनका काछी
3. भोला कुशवाहा आयु 38 वर्ष तनय श्री मनका काछी
4. परमलाल कुशवाहा आयु 75 वर्ष तनय श्री चुक्खा काछी

समस्त निवासीगण–ग्राम–ढ़डारी,

तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) .... निगरानीकर्तागण

आज दि. 13-8-18 प्रारंभिक तर्क हेतु 27-8-18 नियत।

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 13-8-18

1. हीरालाल कुशवाहा आयु 70 वर्ष तनय श्री चुक्खा कुशवाहा

निवासी–ग्राम–ढ़डारी, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2. शासन म.प्र. .... गैरनिगरानीकर्तागण

UA office Received 13-08-18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 निगरानी विरूद्व आदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर (ब) के प्रकरण क्र.–40/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2018 से दुखी होकर

13/8/18

महोदय,

आवेदकगण सादर निम्नलिखित निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है :–

1. यह कि अनावेदक हीरालाल कुशवाहा ने आवेदकगण की जानकारी के बिना ग्राम ढ़डारी स्थित भूमि आराजी नं.–16/3/2, 91, 106/3/2 रकवा क्रमशः 0.135, 0.210, 0.074 हे0 के सीमांकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त सीमांकन की कार्यावाही नाप, फील्ड बुक, पंचनामा बनाते समय हम आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई जबकि वह सरहद्दी कास्तकार होते हुये इन्ही खसरा नम्बरों के बटांक के हिस्सेदार भी है। जो कि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.4958/2018/छतरपुर/भू.रा

हल्कू कुशवाहा आदि **विरूद्ध हीरालाल कुशवाहा व अन्य**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बी.एस. धाकड़ उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर (ब), जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 40/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 09/01/19 सदस्य	